संख्या-5/16/174/33-2-16-36जी/2009

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2016

विषय:- जिला पंचायतों के अवर अभियंताओं के लिए ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था अनुमन्य कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रम/निगम, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण एवं स्वशासी संस्थाओं के अवर अभियंताओं को राजकीय विभागों के अवर अभियंताओं के सादृश्य पर ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था लागू किये जाने से संबंधित वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-23/2015/वे0आ0-2-258/दस-62(एम)/2008-टी0सी0, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 में निर्धारित की गयी निम्नलिखित व्यवस्था को जिला पंचायतों के अवर अभियंताओं पर लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) अवर अभियंता वेतन बैण्ड-2 ग्रेड वेतन रू0 4200 के पदों पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4600 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4800 इस प्रतिबंध के अधीन अनुमन्य होगा कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित जिला पंचायत द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से वहन किया जायेगा और इस अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु संबंधित जिला पंचायत की वित्तीय क्षमता का परीक्षण उसी प्रक्रियानुसार किया जायेगा जैसा कि पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य कराये जाने हेतु किया गया था।

(2) उक्त अवर अभियंता पदधारकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन जिला पंचायतों में वर्तमान में लागू सामान्य व्यवस्था के अनुसार देय होगें।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-214/दस-2016, दिनांक 01 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/16/174(1)/33-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- समस्त मण्डालायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, उ0प्र0।

4- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।

6- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ0प्र0 लखनऊ।

7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।

8- वित्त (वे0आ0) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।

10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।

11- पंचायतीराज अनुभाग-1/3 उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।